रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 1971/पौष 22, 1892

No. 7] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 1971/PAUSA 22, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 12th January 1971

G.S.R. 69.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied hat it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following rther amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry f Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 104-Customs, dated the th June, 1966, namely:—

In the table annexed to the said notification, serial numbers 185, 186 and 187 nd the corresponding entries relating thereto, shall be omitted.

[No. 9/F. No. 5/78/69-Cus.I.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 12, जनवरी 1971

सा० का० नि० 69.—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 104—सीमाशुल्क, तारीख 6 जून, 1966 में और आगे, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम संख्या 185, 186 और 187 और उनसे सम्बन्धित तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ।

[सं० 9/फा० सं० 5/78/69—सीमाशुल्क I]

G.S.R. 70.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 100-Customs, dated the 6th June, 1966, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table annexed hereto and falling under Item 63(20A) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs which is specified in the aforesaid First Schedule leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rate specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

THE TABLE

Serial Number	Description of goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Stainless steel plates of a thickness of 5 millimeters and above having the composition specified under item No. 63 (30) of the aforesaid First Schedule	15 per cent *ad valorem*
2.	Stainless steel plates of a thickness of 3.175 millimeters and above but less than 5 millimeters having the composition sp cified in Item No. 63(30) of the aforesaid First Schedule.	27½ per cent *ad valorem*

[No. 10/F. No. 5/78/69-Cus.I.]

सा० का० नि० 70.—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 100 सीमाशुल्क तारीख 6 जून, 1966 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद 63 (20क) के अन्तर्गत आने वाले माल को जब उसका भारत में आयात किया जाता है, उपरोक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उदग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना उसके स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक्य में है ।

सारणी

क्रम संख्या	माल का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	5 मिलीमीटर और इससे अधिक की मोटाई की जंगरोधी इस्पात की प्लेट्स जो उपरोक्त प्रथम अनुसूची की मद संख्या 63(30) के अधीन विनिर्दिष्ट संरचना की हैं ।	मूल्यानुसार 15 प्रतिशत
2.	3.175 मिलीमीटर और इससे अधिक किन्तु 5 मिलीमीटर से कम, मोटाई की जंगरोधी इस्पात की प्लेट्स जो उपरोक्त प्रथम अनुसूची की मद संख्या 63(30) में विनिर्दिष्ट संरचना की हैं ।	मूल्यानुसार 27-1/2 प्रतिशत

[सं० 10/फा० सं० 5/78/69/सी० शु० I]

G.S.R. 71.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table annexed hereto and falling under Item No. 63(19) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs which is specified in the aforesaid First Schedule leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rate specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

THE TABLE

Sl. No.	Description of goods	Rate of duty
1.	2.	3
1.	(a) Iron or steel plates of a thickness of less than 5 millimeters	27½ per cent *ad valorem*
	(b) Iron or steel plates of a thickness of 5 millimeters and above	15 per cent *ad valorem*

Provided that nothing contained in this notification shall affect the exemption from the duty given under any other notification of the Government of India for the time being in force in respect of the goods referred to in this notification.

[No. 11/F. No. 5/78/69-Cus.I.]

सा० का० नि० 71.—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 63(19) के अन्तर्गत आने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाता है, उपरोक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना उसके स्तंभ (3) में की तत्सथानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर उद्ग्रहणीय शुल्क से आधिक्य में है।

सारणी

क्रम सं०	माल का वर्णन	शुल्क की दर
1	2	3
1.	(क) 5 मिलीमीटर से कम मोटाई की लौह और इस्पात प्लेट्स	मूल्यानुसार 27-1/2 प्रतिशत
	(ख) 5 मिलीमीटर और इससे अधिक मोटाई की लोहे और इस्पात प्लेट्स	मूल्यानुसार 15 प्रतिशत

परन्तु इस अधिसूचना में की कोई बात इस अधिसूचना में निर्दिष्ट माल की बाबत तत्समय प्रवृत्त भारत सरकार की किसी अन्य अधिसूचना के अधीन सीमा शुल्क से दी गई छूट को प्रभावित नहीं करेगी ।

[सं० 11/फा० सं० 5/78/69/–सीमाशुल्क I]

G.S.R. 72.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempt iron or steel plates of thickness of 3.175 millimeters and above but less than 5 millimeters and falling under item 63(19) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934, (32 of 1934), when imported into India for use in the construction of ships or food silos or in the manufacture of agricultural tractors or earth moving machinery from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 15 per cent *ad valorem;*

Provided that the importer shall, by the execution of a bond in such form and in such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay on demand in respect of such quantity of iron or steel plates as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[No. 12/F. No. 5/78/69-Cus.I.]

T. DATTA, Dy. Secy.

सा० का० नि० 72.—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा 3.175 मिलीमीटर और इससे अधिक किन्तु 5 मिलीमीटर से कम मोटी और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद 63(19) के अन्तर्गत आने वाली लौह या इस्पात की प्लेट्स, को उनके भारत में पोतों या फड साइलोस के संनिर्माण में या कृषीय ट्रेक्टरों या अर्थ मूविंग मशीनों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए निर्यात किया जाता है, उस पर उक्त अनसूची में विनिर्दिष्ट उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना वह 15 प्रतिशत मल्यानुसार से आधिक्य में है :

परन्तु आयात कर्ता ऐसे प्ररूप में और ऐसी राशि के लिए जैसा कि सहायक कलक्टर, सीमा-शल्क विहित करे बंध-पत्र के निष्पादन द्वारा लौह या इस्पात प्लेट्स की ऐसी यात्रा की बाबत जो सहायक कलक्टर, सीमाशुल्क के समाधानप्रद रूप से उपरोक्त प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं की गई

हैं, उस रकम के लिए जो ऐसी यात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क, इसमें अन्तर्विष्ट छूट को छोड़ कर, और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो, मांग किये जाने पर संदत्त करने के लिए अपने को बाध्य करेगा ।

[सं० 12/फा० सं० 5/78/69—सीमाशुल्क I]

ज्योतिर्मय दत्त,
उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971